उपखण्ड अधिकारी जायल

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

फर्द अहकाम
(नियम–26)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.एम.) जायल (नागौर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आंवलियासर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

नैनी देवी बनाम अन्नाराम वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद मुकदमा नं. 04 /2018

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
04.5. 2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट आवंलियासर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण का वाद अधीन धारा 88,89 आर.टी एक्ट तथा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत दर्ज है लेकिन प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती का होने से इसका निर्णय 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत ही किया जा रहा है। । सक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने ग्राम ढेहरी के खेत खं नं 244 रकबा 02.07 बीघा तथा ख नं 550 रकबा 08.02 बीघा उनके खातेदार जीवणराम से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान खरीद करके कब्जा प्राप्त किया तथा राजस्व रिकार्ड में अपनी खातेदारी दर्ज करवायी । पूर्व में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अन्नाराम तथा उसके भाई जीवणराम के नाम थी । जीवणराम का दोनो खसरों में आधा–2 हिस्सा था जो वादीगण ने प्राप्त कर लिया। नामांतकरण के बाद राजस्व नक्शा में ख नं 244 तथा 244/961 तो सही रूप में दर्ज हो गये लेकिन ख नं 550 तथा 550/960 का अमलदरामद नक्शे में मौके पर दिये गये कब्जे के विपरित हो गया। मौके पर वादीगण का खरीदशुदा ख नं 550 रकबा 08.02 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा है तथा प्रतिवादी अन्नाराम का शेष रकबा हिस्सा 550/960 पश्चिमी तरफ है लेकिन नक्शें में 550 उत्तरी तरफ व 550/960 दक्षिणी तरफ दर्ज हो गया है जिनको पुनः एक करके पूर्व पश्चिमी कब्जानुसार तरमीम करने का निवेदन वादीगण ने किया है। पत्रावली के अवलोकन से व तहसीलदार की अनापति से प्रकरण स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद / प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान लैण्ड करेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार कर तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि मौजा ढेहरी के ख नं 550 व 550/960 के विभाजन की पूर्व की तरमीम को हटाकर उसक पुनः तरमीम करते हुए सलग्न नक्शानुसार ख नं 500 को पूर्वी तरफ तथा 550/960 को पश्चिमी तरफ दर्ज करके तरमीम करें। आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को बेमुकाम कैम्प कोर्ट आवंलियासर में पारित किया गया । आदेश की प्रति तहसीलदार जायल को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner